BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

M.A. No. 68 OF 2025
IN
Original Application 117 of 2024

IN THE MATTER OF:

News item titled "Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming a casualty" appearing in The Hindustan Times dated 25.12.2023

NDOH : 26.09.2025

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NOS.
1	Reply on behalf of the Respondent No. 3 Uttar Pradesh Pollution Control Board	**1-8**
2	**ANNEXURE R3/1:** A true copy of the minutes of meeting dated 11.06.2024	**9-11**
3.	**ANNEXURE R3/2 (COLLY)** A true copy of the letter dated 07.07.2025	**12-13**
4.	**ANNEXURE R3/3:** A true copy of the letter dated 17.07.2025	**14-15**
5	**ANNEXURE R3/4 (COLLY)** A true copy of the letter dated 09.07.2024 & 22.08.2025	**16-18**
6	**ANNEXURE R3/5:** A true copy of the letter dated 08.09.2025	**19**
7	**ANNEXURE R3/6:** A true copy of the monitoring report dated 09.09.2025	**20**
8	**ANNEXURE R3/7:** A true copy of the letter dated 08.09.2025	**21**

9	**ANNEXURE R3/8:** A true copy of the letter dated 09.09.2025	**22**
10	**ANNEXURE R3/9:** A true copy of the joint committee report dated 12.09.2025	**23-25**
11	**ANNEXURE R3/10:** A true copy of the letter dated 18.09.2025	**26**
12	**ANNEXURE R3/11:** A true copy of the letter dated 19.09.2025	**27**

Respondent No. 3
UPPCB

Through

AMIT SHUKLA ADVOCATE
Office at : D-54, Sector-48
NOIDA – 201303
Email: amitshukla@lexweb.in
Mob : No. 9999933220

Place: New Delhi
Date: 20.09.2025

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

M. A. NO. 68 OF 2025

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 117 OF 2024

IN THE MATTER OF:

NEWS ITEM TITLED "NAWABGANJ BIRD SANCTUARY NOT (BIRD'S) PARADISE LOST YET BUT SOLACE BECOMING A CASUALTY" APPEARING IN THE HINDUSTAN TIMES DATED 25.12.2023.

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.3, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD.

I, Shashi Vindkar, aged about 42 years, S/o Shri Lala Ram, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (herein after UPPCB), Unnao, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, in the above noted capacity, am well conversant with the facts and records of the present case, hence am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That this Hon'ble Tribunal has *suo motu* registered an Original Application No. 117/2024 on the basis of the news item titled "Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming a casualty" appearing in 'The Hindustan Times' dated 25.12.2023. As per the said news report, Nawabganj Bird Sanctuary is a paradise for birds but is adversely affected by increased highway traffic and new roads coming up in the area as also nearby construction activities.

3. That this Hon'ble Tribunal while disposing the Original Application has vide its order dated 03.04.2024passed the following direction:

"4. Once, UPPCB has found that noise level was higher than the prescribed standards in certain areas. Responsibility lies with UPPCB to find out the source of such noise pollution and take remedial action including punitive action against the violators.

5. Learned Counsel appearing for UPPCB has submitted that now remedial and punitive action will be taken. Hence, original application is disposed of,

Pg-2

20-9-25

directing the UPPCB to take appropriate remedial and punitive action against the violators and file action taken report before Registrar General of the Tribunal within three months. If found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration."

4. That in compliance to the above direction the UPPCB has filed a report dated 26.07.2024 which is on record. Upon considering the report dated 26.07.2024 this Hon'ble Tribunal treated the matter as Miscellaneous Application.

5. That it is pertinent to mention here that in compliance to the order dated 03.04.2024 passed by this Hon'ble Tribunal in Original Application No. 117/2024 a meeting of concern departments has organized on 10.06.2024 under the Chairmanship of the District Magistrate, Unnao.

   A true copy of the Minutes of Meeting is being annexed herewith and marked as **Annexure R3/1**.

6. That in pursuance to the said Minutes of Meeting, the District Magistrate, Unnao has sent the letter

dated 07.07.2025 to the Divisional Director, Social Forestry Division, Unnao regarding the updated status for free plantation in the said area in question. A true copy of the letter dated 07.07.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R3/2.**

7. That in continuation to the above said letter, vide its letter dated 17.07.2025 it has been informed by the Divisional Director, Social Forestry Division, Unnao that to solve the problem of noise pollution in Shaheed Chandra Shekhar Forest Sanctuary (Bird Sanctuary) Nawabganj, Unnao, about 250 plants of Pakkad and other species have been planted on the left track in between 41-43 km. of Lucknow-Kanpur Highway in Nawabganj Range.

   A true copy of the letter dated 17.07.2025 is being annexed herewith and marked as **Annexure R3/3**.

8. The UPPCB has vide its letter dated 09.07.2024 and 22.08.2025 requested to the Environment, Forest and Climate Change Department, State of UP regarding declaring an area of 100 meter. in Shaheed Chandra Shekhar Forest Sanctuary (Bird Sanctuary) Nawabganj, Unnao as a silent zone for the

application of noise pollution rules.

A true copy of the letter dated 09.07.2024 and 22.08.2025 is being annexed herewith and marked as **Annexure R3/4**.

9. The UPPCB vide its letter dated 08.09.2025 has requested to the Project Director, National Highway Authority of India (NHAI) for maintenance of Hoardings at various places at NH-27 to inform the general public about the silent zone/no honking zone.

A true copy of the letter dated 08.09.2025 is being annexed herewith and marked as **Annexure R3/5**.

10. That an ambient noise monitoring was carried out by the UPPCB on different dates during day/night at 07 identified locations around Shaheed Chandra Shekhar Forest Sanctuary (Bird Sanctuary) Nawabganj, Unnao. According to the ambient noise monitoring report dated 09.09.2025, the intensity of attention during the day at Police Chowki, Near Bird Sanctuary, Main Gate of Bird Sanctuary, Forest Department Guest House was found to be more than the standards of silent zone.

A true copy of the monitoring report dated 09.09.2025 is being annexed herewith and marked as **Annexure R3/6**.

11. That in pursuance to the above monitoring the UPPCB vide its letter dated 08.09.2025 has requested to the Divisional Transport Officer Unnao to check and take action against the vehicles (modified silencer and horns) and DJ's playing around Nawabganj Bird Sanctuary at NH-27.

A true copy of the letter dated 08.09.2025 is being annexed herewith and marked as **Annexure R3/7**.

12. That also a letter has been sent by the UPPCB on 09.09.2025 to the Superintendent of Police (Traffic), Unnao along with a copy of monitoring report regarding noise, to get seized the vehicles running with modified silencer and horns and to stop the illegal DJ's producing noise around Nawabganj Bird Sanctuary at NH-27.

A true copy of the letter dated 09.09.2025 is being annexed herewith and marked as **Annexure R3/8**.

13. That in compliance to the direction passed by this Hon'ble Tribunal, the inspection of the Shaheed

Chandra Shekhar Forest Sanctuary (Bird Sanctuary) Nawabganj, Unnao has been carried out the joint team comprising the officials of UPPCB and Forest Department on 11.09.2025.

A copy of the joint committee report dated *12.09.2025* is annexed herewith and marked as **Annexure R3/9**.

14. During inspection it was observed that the main factor for noise pollution is the movement of vehicles on the road located on the other three directions of the wildlife sanctuary along with NH-27 on the western side, adjacent to bird sanctuary and the use of sound amplifying devices installed in the vehicle, which increase the intensity of sound. It is recommended by the joint committee that prima facie, it is necessary to install a boundary wall of sufficient size on Lucknow-Kanpur roadside. It is necessary to ban the operation of any type of noise pollution producing equipment such as DJs/ loudspeaker in the buffer zone around the bird sanctuary. Apart from the above, no other type of sound producing sources/activities were found.

15. That the UPPCB received the letter from the Assistant Regional Transport Officer (Enforcement), Unnao wherein the details pertaining number of challans on vehicles found to be violating the Noise norms. A true copy of the letter dated 18.09.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R3/10.**

16. That the UPPCB received the letter from the Superintendent of Police Traffic (Unnao) wherein the details pertaining number of challans on vehicles found to be violating the Noise norms. A true copy of the letter dated 19.09.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R3/11.**

DEPONENT

VERIFICATION:

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing has been concealed there from.

Verified on this the 20. day of September, 2025 at ....

DEPONENT

6470

मैं शशि किन्नल को जानता व पहचानता हूँ इन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर / निशान बनाया है

SHIVAM SINGH Advocate
Reg. No. UP04421/20
C.O.P. No. 204786
Mob.No. 9044638616

Kamlesh Kumar Dixit
Advocate शपथ आयुक्त
Reg. No.-UP04269/09
C.O.P.-046
Mob. No.-9473848058

शपथ आयुक्त उन्नाव 20-9-25

Annexure-R3/1

9

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–117/2024 "News item titled Nawabganj Brid Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming a casually" appering in the Hindustan Times dated 25-12-2023 titled में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव की अध्यक्षता में दिनांक 10.06.2024 को सायं 3.30 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

शहीद चन्द्र शेखर आजाद वन अभ्यारण (Bird Santuary) के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाइम्स में दिनांक 25.12.2023 को प्रकाशित समाचार "News item titled Nawabganj Brid Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming a casually" appering in the Hindustan Times dated 25-12-2023 titled के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए दिनांक 06.02.2024 को आदेश पारित किये गये थे। जिसमें सम्बन्धित विभागों से प्रकरण के सम्बन्ध में विभागीय पक्ष से दिनांक 03.04.2024 तक अवगत कराने हेतु तिथि नियत की गयी थी। उक्त आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वन अभ्यारण के अन्दर तथा आस–पास कई बिन्दुओं पर ध्वनि प्रदूषण तथा परिवेशीय वायु गुणता सम्बन्धी जाँच करायी गयी थी। जिसमें कुछ बिन्दुओं पर ध्वनि प्रदूषण का स्तर तथा परिवेशीय वायु गुणता में PM_{10} की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी थी। उक्त जाँच आख्या बोर्ड मुख्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के माध्यम से दिनांक 22.03.2024 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल की गयी थी। उक्त के आधार पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–117/2024 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 मे दिये गये निर्देश के अनुपलान के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 10.06.2024 को सायं 3.30 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक आहुत की गयी उक्त बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे।

1. उप प्रभागीय वन अधिकारी, समाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, उन्नाव।
2. वन संरक्षक लुप्तप्राय परियोजना, शीशमबाग कालोनी, इन्द्रा नगर उ0प्र0 लखनऊ।
3. उपजिलाधिकारी, हसनगंज, उन्नाव।
4. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 पुलिस, हसनगंज, उन्नाव।
5. अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण, भारत सरकार, लखनऊ।
6. प्रबन्धक पर्यटक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास, पक्षी विहार, नवाबगंज, उन्नाव।
7. तहसीलदार, हसनगंज, उन्नाव।
8. थाना प्रभारी, उ0प्र0 पुलिस, अजगैन, उन्नाव।
9. क्षेत्रीय वन अधिकारी, पक्षी विहार, नवाबगंज, उन्नाव।

- बैठक में उपस्थित क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि आदेश में मुख्यतः Bird Santuary के आस–पास ध्वनि प्रदूषण की मात्रा मानक से अधिक पाये जाने के श्रोत को चिन्हित कर Remedial and Punitive Action सम्बन्धी कार्यवाही करते हुए दोषियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही किये जाने तथा कृत कार्यवाही सम्बन्धी आख्या 03 माह में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त आदेश के क्रम में बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र दिनांक 25.05.2024 द्वारा निम्न बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही कर आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैः–

    1. ध्वनि प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु वन अभ्यारण के समीप NO HONKING ZONE की होडिंग स्थापित किया जाये।
    2. वन अभ्यारण को शान्त क्षेत्र घोषित किया जाये।
    3. वन अभ्यारण के समीप ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के निदान हेतु निर्माण कार्य रोके जाने सम्बन्धी कार्यवाही।
    4. वन अभ्यारण के आस–पास अन्य उपाये जिसमें ध्वनि प्रदूषण की समस्या का निदान हो सके।

...2...

- जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव द्वारा (Bird Santuary) के आस–पास की परिधि में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार कितनी दूरी तक निर्माण कार्य प्रतिबन्धित है के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी से जानकारी चाही गयी। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा महोदय को अवगत कराया गया कि शान्त क्षेत्र की सीमा से 100 मी0 की परिधि में ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धी गतिविधि/ध्वनि के श्रोत स्थापित किया जाना प्रतिबन्धित है।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 पुलिस, हसनगंज, उन्नाव तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी, पक्षी विहार, नवाबंगज, उन्नाव से जानकारी चाही गयी कि पक्षी विहार के चारो तरफ 100 मी0 की परिधि में क्या–क्या इन्फ्रास्ट्रचर स्थापित है। क्षेत्राधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वन अभ्यारण की 100 मी0 की परिधि मे वृन्दावन होटल का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, हसनगंज, उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि 100 मी0 की परिधि मे रॉयल बार भी स्थापित है।
- जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी से जानकारी चाही गयी कि 100 मी0 की परिधि में किस प्रकार के निर्माण कार्य प्रतिबन्धित किये गये है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि शान्त क्षेत्र के 100 मी0 की परिधि में मुख्यतः ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाली परियोजनायें तथा कंस्ट्रक्शन से सम्बन्धी किसी प्रकार की बडी परियोजाना जिससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होने के सम्भावना हो, को प्रतिबन्धित किया गया है।
- जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया :–

1. वन अभ्यारण के समीप NO HONKING ZONE हेतु होडिंग एवं साइनेज लगाये जाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समन्वय कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही– राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव)

2. वन अभ्यारण को शान्त क्षेत्र घोषित किया जाये।

(कार्यवाही–जिला प्रशासन, उन्नाव/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव)

3. वन अभ्यारण (शान्त क्षेत्र) में 100 मी0 की परिधि में ध्वनि प्रदूषण के श्रोत को चिन्हित करने तथा ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गतिविधि को निषेधित किये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही–उ0प्र0 पुलिस/जिलास्तरीय समिति)

4. वन अभ्यारण के समीप ध्वनि प्रदूषण के स्तर को कम किये जाने हेतु वन अभ्यारण के सड़क की ओर उचित चौडाई में बड़े वृक्षो का सघन वृक्षारोपण किया जाये।

(कार्यवाही– समाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, उन्नाव)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुए अनुपालन सम्बन्धी आख्या ससमय प्रेषित कराना सुनिश्चित करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ससमय प्रकरण पर कृत कार्यवाही सम्बन्धी आख्या प्रेषित की जा सके।

अन्त में सधन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

11/06/2024

(डा0 ए0के0 माथुर)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
उन्नाव

(गौरांग राठी)
जिलाधिकारी,
उन्नाव

(3)

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

पत्रांक 205 /सा0–312/2024 दिनांक 16 /06/2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं अनुपालनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय निदेशक, समाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, उन्नाव।
2. वन संरक्षक लुप्तप्राय परियोजना, शीशमबाग कालोनी, इन्द्रा नगर उ0प्र0 लखनऊ।
3. उपजिलाधिकारी, हसनगंज, उन्नाव।
4. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 पुलिस, हसनगंज, उन्नाव।
5. अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण, भारत सरकार, लखनऊ।
6. प्रबन्धक पर्यटक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास, पक्षी विहार, नवाबगंज, उन्नाव।
7. तहसीलदार, हसनगंज, उन्नाव।
8. थाना प्रभारी, उ0प्र0 पुलिस, अजगैन, उन्नाव।
9. क्षेत्रीय वन अधिकारी, पक्षी विहार, नवाबगंज, उन्नाव।

(डा0 ए0के0 माथुर)
क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-R3/2

12

कार्यालय जिलाधिकारी उन्नाव

पत्रांक-313/स्था0-312/2025 दिनांक- 07/07/2025

सेवा में

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव।

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित एम0ए0 सं0–68/2025 अन्तर्गत ओ0ए0 सं0–117/2024 News item titled "Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming a casually" appering in the Hindustan Times dated 25-12-2023 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2025 एवं पूर्व मे परित आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करें। जोकि मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन एम0ए0 सं0–68/2025 अन्तर्गत ओ0ए0 सं0–117/2024 मे परित आदेश दिनांक 22.05.2025 एवं दिनांक 03.04.2024 (छायाप्रतियां संलग्न) के अनुपालन में अपने पत्रांक–496 टी0सी0/29–2, उन्नाव दिनांक 26.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) जिसके माध्यम से वन अभ्यारण्य क्षेत्र नवाबगंज के समीप ध्वनि प्रदूषण के स्तर को कम किये जाने हेतु वन अभ्यारण्य के सड़क की ओर उचित चौड़ाई में बड़े पौधों का सघन वृक्षारोपण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त ओ0ए0 117/2024 मे परित आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन में पूर्व में दिनांक 10.06.2024 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत के कार्यकारी बिन्दु सं0–04 में भी आपको उक्त सम्बन्ध में निर्देशित है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त एम0ए0 सं0–68/2025 अन्तर्गत ओ0ए0 सं0–117/2024 में आगामी सुनवाई हेतु तिथि 26.09.2025 नियत की गयी है।

अतः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशो के अनुपालन में आपसे अपेक्षा है कि वर्तमान वृक्षारोपण वर्ष 2025–26 के अन्तर्गत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में नवाबगंज वन अभ्यारण के उक्त क्षेत्र में भी सघन वृक्षारोपण कराते हुए फोटोग्रास सहित आख्या क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(गौराग राठी)
जिलाधिकारी,
उन्नाव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक लुप्तप्राय परियोजना, शीशम बाग कॉलोनी इन्द्रानगर लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

जिलाधिकारी,
उन्नाव।
7/7/2025

Jr. Email 26/06/24

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव

पत्रांक 496Tc /29-2 उन्नाव, जून 26, 2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
उन्नाव।

विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0—117/2024 **New item titled "Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yert but solace becoming a casually" appering in the Hindustan times dated 25-12-2023** में पारित आदेश 03.04.2024 के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, उन्नाव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।

सन्दर्भ— आपका कार्यालय पत्रांक 205/सा0—312/2024 दिनांक 16.06.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में कार्यवृत्त के विन्दु सं0—4 की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार है—

विन्दु0 सं0	निर्देश	अनुपालन आख्या
1	2	3
4.	वन अभ्यारण्य के समीप ध्वनि प्रदूषण के स्तर को कम किये जाने हेतु वन अभ्यारण्य के सड़क की ओर उचित चौड़ाई में दर्द वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाये।	उक्त दिये गये निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय वन अधिकारी, नवाबगंज द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 982/29—2 दिनांक 24.06.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि नवाबगंज स्थित शहीद चन्द्रशेखर आजाद पक्षी विहार के समीप ध्वनि प्रदूषण की समस्या को कम करने हेतु लखनऊ—कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के किमी0 41—43 के मध्य बायीं पटरी पर 250 पाकड़/पिलखन के पौधे ट्री गार्ड के साथ लगाये के साथ लगाये जा सकते हैं जो ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को कम करने में सहायक होंगे। उक्त वृक्षारोपण उच्च स्तर को बजट की मांग की गयी है, बजट प्राप्त होने के उपरान्त मय ट्री गार्ड सघन वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

भवदीया

(आरूषी मिश्रा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

ASO
26/06/2024

पत्रांक 496Tc/उक्तदिनांकित
प्रतिलिपि— जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव को उक्त के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(आरूषी मिश्रा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

Annexure-R3/3

14

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव

पत्रांक 180 /29–2 उन्नाव, जुलाई –17– 2025

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
उन्नाव।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में याजित एम0ए0 सं0–68/2025 अन्तर्गत ओ0ए0 सं0–117/2024 **New item titled "Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yert but solace becoming a casually" appering in the Hindustan times dated 25-12-2023** में पारित आदेश 22.05.2025 एवं पूर्व मे पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव का पत्रांक 313/सा0–312/2025 दिनांक 07.07.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में उक्त दिये गये निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय वन अधिकारी, नवाबगंज द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 37/29–2 दिनांक 17.07.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 117/2024 मे पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन में शहीद चन्द्रशेखर आजाद वन अभ्यारण (Bird Sencutary) में ध्वनि प्रदूषण के समस्या के समाधान हेतु नवाबगंज रेंज में लखनऊ–कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के किमी0 41–43 के मध्य वायीं पटरी पर पाकड़ व अन्य प्रजाति के 250 पौधों का रोपण किया जा चुका है। उक्त वृक्षारोपण से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स संलग्न है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार–

भवदीया

(आरूषी मिश्रा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

पत्रांक /उक्तदिनांकित

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव के कार्यालय पत्रांक पत्रांक 313/सा0–312/2025 दिनांक 07.07.के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(आरूषी मिश्रा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

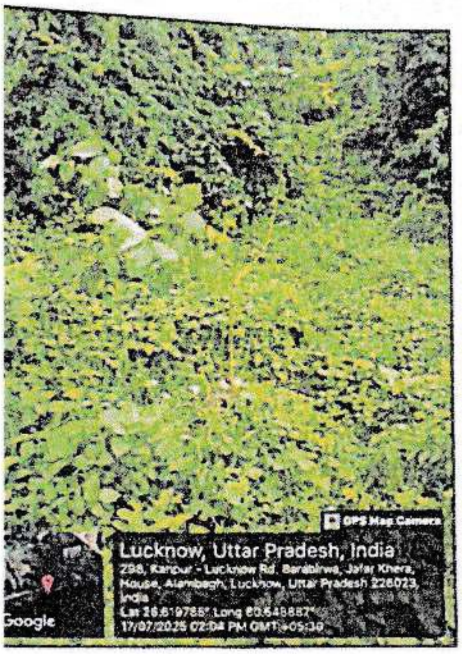

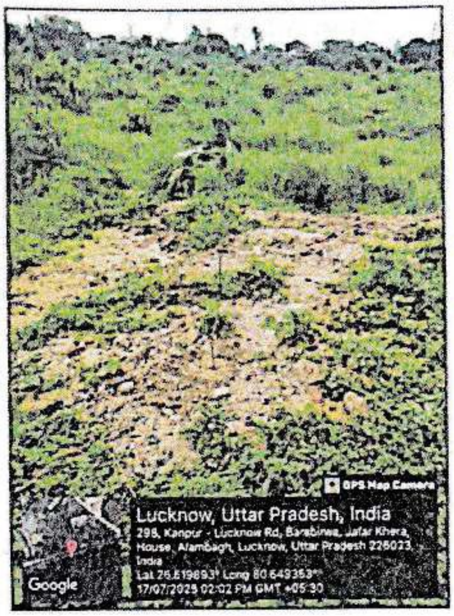

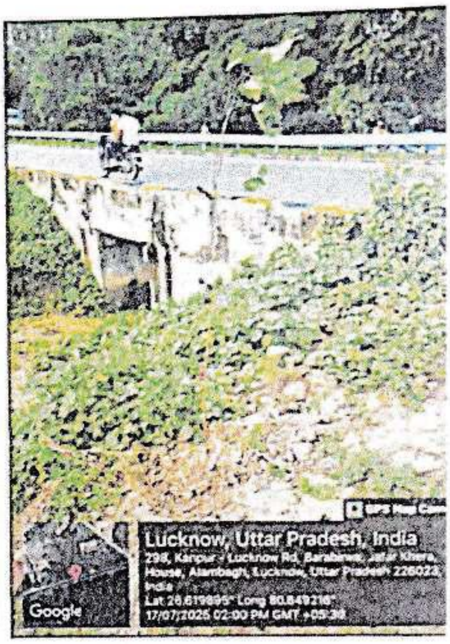

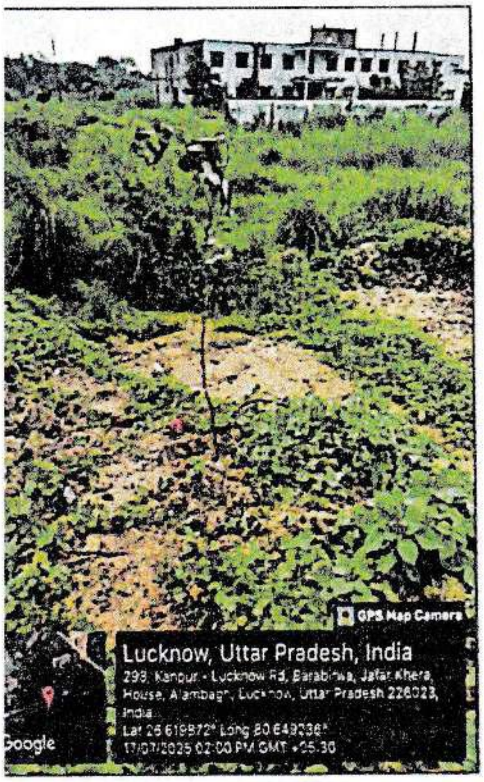

S.. dwivedi 102

Annexure-R3/4

16

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पत्रांक संख्या– 1415 X10 /सी–5/ 172/O.A.N 117/24 दिनांक 09-07-2024

सेवा में,

अनु सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–6,
उ0प्र0 शासन।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 117/2024 News item titled **"Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming a casualty" appearing in The Hindustan Times dated 25.12.2023** में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन हेतु Nawabganj Bird Sanctuary के आस–पास के 100 मीटर क्षेत्र को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम–3(5) के अन्तर्गत शान्त क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 117/2024 News item titled "Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming a casualty" appearing in The Hindustan Times dated 25.12.2023 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 06.04.2022 द्वारा जिलाधिकारियों को अस्पतालो, शैक्षणिक संस्थाओं, मा0 न्यायालयों एवं महत्वपूर्ण स्थलों के आस–पास कम से कम 100 मीटर के क्षेत्र को ध्वनि नियमों के प्रयोजन के लिये शांत क्षेत्र/परिक्षेत्र घोषित करने के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है। शासन का उक्त पत्र दिनांक 06.04.2022 बोर्ड को इस निर्देश के साथ पृष्ठांकित है कि संबंधित जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर शांत क्षेत्र घोषित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करें (छायाप्रति संलग्न)।

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के प्राविधानों, मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 03.04.2024 एवं अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनाक 06.04.2022 द्वारा जारी निर्देशों के अनुकम में जिलाधिकारी, उन्नाव के आदेश संख्या–206/सा0–312/2024 दिनांक 16.06.2024 द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम–3(5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद–उन्नाव के शहीद चन्द्र शेखर आजाद वन अभ्यारण (Bird Century) के आस–पास कम से कम 100 मीटर के क्षेत्र को ध्वनि नियमों के प्रयोजन के लिये शांत क्षेत्र/परिक्षेत्र करने हेतु वर्गीकृत कर प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा जनपद–उन्नाव के शहीद चन्द्र शेखर आजाद वन अभ्यारण (Bird Century) के आस–पास 100 मीटर क्षेत्र को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम–3(5) के अन्तर्गत शान्त क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि जनपद–उन्नाव के शहीद चन्द्र शेखर आजाद वन अभ्यारण (Bird Century) के आस–पास 100 मीटर क्षेत्र को शांत क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु शासन स्तर से आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

टी.सी.–12 वी, विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ–226010
ई-मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट-www.uppcb.com

TC-12-V, VibhutiKhand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
web site www.uppcb.com

UPPCB/CRCL0/MISC/11696/2025-CIR5-UPPCB

LiFE

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या– G46170 /सी–5/172/O A N. 117/25 दिनांक 22/08/25
अनुस्मारक

सेवा में,

अनु सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–6,
उ0प्र0 शासन।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 117/2024 **News item titled "Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming a casualty" appearing in The Hindustan Times dated 25.12.2023** में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन हेतु **Nawabganj Bird Sanctuary** के आस–पास के 100 मीटर क्षेत्र को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम–3(5) के अन्तर्गत शान्त क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या–जी 43370/सी–5/172/ओ0ए0 न0–117/24 दिनांक 09.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 117/2024 News item titled "Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming a casualty" appearing in The Hindustan Times dated 25.12.2023 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी, उन्नाव के पत्र संख्या–206/सा0–312/2024 दिनांक 16.06.2024 द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम–3(5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद–उन्नाव के शहीद चन्द्र शेखर आजाद वन अभ्यारण (Bird Century) के आस–पास कम से कम 100 मीटर के क्षेत्र को ध्वनि नियमो के प्रयोजन के लिये शांत क्षेत्र/परिक्षेत्र करने हेतु वर्गीकृत कर प्रस्ताव प्रेषित करते हुए **Nawabganj Bird Sanctuary** के आस–पास 100 मीटर क्षेत्र को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम–3(5) के अन्तर्गत शान्त क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु शासन स्तर कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन में पुनः जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा प्रेषित शान्त क्षेत्र के प्रस्ताव संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन में **Nawabganj Bird Sanctuary** के आस–पास 100 मीटर क्षेत्र को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम–3(5) के अन्तर्गत शान्त क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु शासन स्तर से कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

Digitally signed by
SANJEEV KUMAR SINGH
Date: 2025.08.21
15:05:54
(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

टी सी –12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट -www.uppcb.com

TC-12-V, VibhutiKhand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
web site www.uppcb.com

कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव

संख्या – 206/ स्था0-312/2024 दिनांक–16 जून, 2024

आदेश

अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6 के पत्र सं0–252/81–6–2022–98 (रिट)/2017 टी0सी0–2 दिनांक 06 अप्रैल, 2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम–3(5) के प्राविधान के अन्तर्गत प्रदेश में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं और मा0 न्यायालयों के आस–पास कम से कम 100 मी0 के क्षेत्र को ध्वनि नियमों के प्रयोजन के लिये शांत क्षेत्र/परिक्षेत्र सरकार द्वारा घोषित किया जाना है। उक्त को अधिसूचित किये जाने हेतु जनपद के महत्वपूर्ण स्थलों को शांत क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश प्राप्त है (संलग्नक–1)।

एतद्द्वारा मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 संख्या–117/2024 में पारित आदेश दिनांक–03.04.2024 के क्रम में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम–3(5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद–उन्नाव के **शहीद चन्द्र शेखर आजाद वन अभ्यारण (Bird Century)** के आस–पास कम से कम 100 मी0 के क्षेत्र को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ध्वनि नियमों के प्रयोजन के लिये शांत क्षेत्र/परिक्षेत्र करने हेतु वर्गीकृत कर प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है। समस्त जिलास्तरीय अन्तर्विभागीय अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि उक्त शांत क्षेत्र के अन्तर्गत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के अन्तर्गत वर्णित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये एवं उल्लंघन किये जाने पर तत्संबंधित उल्लंघनकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(गौरांग राठी)
जिलाधिकारी,
उन्नाव

Annexure-R3/5

19

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, UNNAO

संदर्भ सं0 / **Ref.No.** 520 / सा0–312 / 2025 दिनांक / **Date**–08 / 09 / 2025

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम, उ0प्र0
3 / 248, विशाल खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–117 / 2024 "News item titled Nawabganj Brid Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming a casually" appering in the Hindustan Times dated 25-12-2023 titled में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपने पत्रांक–NHAI/PIU/Lko/NH-27(old NH-25)/2024/SM/716 दिनांक–26 / 25.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–117 / 2024 "News item titled Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming a casually" appearing in the Hindustan Times dated 25-12-2023 titled में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी, उन्नाव की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 10.06.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आप द्वारा शहीद चन्द्र शेखर आजाद वन अभ्यारण (Bird Sanctuary) में ध्वनि प्रदूषण की त्रीवता के सम्बन्ध में अभ्यारण क्षेत्र के NH-27 पर NO HONKING ZONE की होडिंग स्थापित किये जाने की सूचना दी गयी है।

उपरोक्त के संबंध में अनुरोध है कि जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त के बिन्दु सं0–01 के अनुसार नवाबगंज पक्षी विहार (Bird Sanctuary) जो नवाबगंज में स्थित है, के आस–पास NH-27 पर कम से कम 100 मी0 के क्षेत्र में विभिन्न स्थलों पर शान्त क्षेत्र / NO HONKING ZONE के संबंध में जनसामान्य को सूचित किये जाने हेतु स्थापित किये गये होडिंग इत्यादि की अद्यतन स्थिति फोटोग्राफ सहित सूचना इस कार्यालय में 03 दिवस के अन्दर प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे कि मा0 में ओ0ए0 सं0–117 / 2024 में सुनवाई हेतु प्रस्तावित नियत तिथि दिनांक 26.09.2025 से एक सप्ताह पूर्व समस्त सूचनाओं को संकलित करते हुए अद्यतन आवश्यक कार्यवाही का विवरण शपथ पत्र के साथ मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के पोर्टल पर अपलोड / दाखिल करायी जा सके।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,
08/09/2025
(शशि विन्दकर)
क्षेत्रीय अधिकारी
O/C A.K.

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

08/09/2025
क्षेत्रीय अधिकारी
O/C A.K.

क्षेत्रीय कार्यालय : बी–18 / 3, आवास कालोनी, उन्नाव–209801, दूरभाष–05157962487 ई–मेल–rounnao@uppcb.in
मुख्यालयः टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, दूरभाष : 0522–2720828, 2720681,
फैक्स : 0522–2720764
D:\UPPCB\Panchi Vihar\CEO-5 Letter.docx

Annexure-R3/6

20

REGIONAL OFFICE
U.P POLLUTION CONTROL BOARD
B -18/3, AVAS VIKAS COLONY,
UNNAO

NOISE MONITORING REPORT

S.No.	Location	Geo-coordinates of location	Category	Value in dB(A) Leq (Day Time)	Value in dB(A) Leq (Night Time)
1	Mid Area of Saheed Chandra Shekhar Azad Bird Sanctuary Nawabganj, Unnao	Lat-26.618503 Long-80.653808	Silence Zone Proposed	50.41	38.60
2	South Area of Saheed Chandra Shekhar Azad Bird Sanctuary Nawabganj, Unnao	Lat-26.617616 Long-80.651981	Silence Zone Proposed	51.44	39.82
3	East Area of Saheed Chandra Shekhar Azad Bird Sanctuary Nawabganj, Unnao	Lat-26.618879 Long-80.653932	Silence Zone Proposed	53.58	42.10
4	Main Gate of Saheed Chandra Shekhar Azad Bird Sanctuary Nawabganj, Unnao	Lat-26.620901 Long-80.655976	Silence Zone Proposed	64.94	54.62
5	Police Chauki Near Saheed Chandra Shekhar Azad Bird Sanctuary Nawabganj, Unnao	Lat-26.618542 Long-80.665876	Commercial Area	72.44	60.87
6	Van Vibhag Guest House Near Saheed Chandra Shekhar Azad Bird Sanctuary Nawabganj, Unnao	Lat-26.618856 Long-80.647068	Silence Zone Proposed	62.30	50.44
7	Back Side Road of Saheed Chandra Shekhar Azad Bird Sanctuary Nawabganj, Unnao	Lat-26.604962 Long-80.652670	Silence Zone Proposed	48.74	36.62

Standards –

Sl. No.	Category of Area/ Zone	Standard in dB(A)Leq	Standard in dB(A)Leq
		Day Time 06.00 A.M. - 22.00 P.M.	Day Time 22.00 P.M. - 06.00 A.M.
1	Industrial Area	75	70
2	Commercial Area	65	55
3	Residential Area	55	45
4	Silence Zone	50	40

A.Kumar 9/9/25
(S.A.)

09/09/25
(A.E.E)

09/09/2025
(R.O)

Annexure-R3/7

21

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, UNNAO

संदर्भ सं0/Ref.No. 518 /सा0–312/2025 **दिनांक/Date–** 08 /09/2025

सेवा में,

सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय,
उन्नाव।

महात्वपूर्ण/मा0
एन0जी0टी0 से सम्बन्धित प्रकरण

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम0ए0 सं0–68/2025 के अन्तर्गत ओ0ए0 संख्या–117/2024 News item titles "Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming" casualty appearing in The Hindustan Times dated 25.12.2023 titled में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं0–एच 31589/सी–5/172/ओ0ए0 नं0117/25 दिनांक 18.08.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जोकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम0ए0 सं0–68/2025 के अन्तर्गत ओ0ए0 संख्या–117/2024 News item titles "Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming" casualty appearing in The Hindustan Times dated 25.12.2023 titled में पारित आदेशों के अनुपालन हेतु आपको पृष्ठाकिंत प्रेषित किया गया है। मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, उन्नाव द्वारा शहीद चन्द्र शेखर आजाद, नवाबगंज पक्षी विहार (Bird Sanctuary) के आस–पास चिन्हित 07 स्थलों पर परिवेशीय ध्वनि अनुश्रवण विभिन्न तिथियों को दिन/रात में किया गया। परिवेशीय ध्वनि अनुश्रवण आख्या अनुसार पुलिस चौकी, नियर–पक्षी विहार, मुख्य गेट पक्षी विहार, वन विभाग गेस्ट हाउस पर दिन के समय ध्वनि की त्रीवता शान्त क्षेत्र के मानकों से अत्यधिक पायी गयी, अनुश्रवण आख्या संलग्न है।

अवगत कराना है कि नवाबगंज पक्षी विहार (Bird Sanctuary) क्षेत्र के आस–पास एन0एच0–27 एवं अन्य मार्गों पर चलने वाले बड़े व छोटे वाहनों में लगे हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अतिरिक्त प्रतिबंधित Modified Silencer, Horn भी प्रयोग किये जाने पर एन0एच0–27 पर चलने से ध्वनि की त्रीवता वृद्धि होने की सम्भावना रहती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नवाबगंज पक्षी विहार (Bird Sanctuary) क्षेत्र के आस–पास एन0एच0–27 पर चलने वाले बड़े व छोटे वाहनों में लगे हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं वाहनों पर प्रतिबंधित Modified Silencer, Horn प्रयोग करने वाहनों की जाँच कराकर नियम विरूद्ध मानकों से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाहनों के विरूद्ध जाँच कराकर एवं पूर्व में बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 28.05.2024 के अनुपालन में की गयी नियमानुसार कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को 01 सप्ताह के अन्दर प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम0ए0 सं0–68/2025 के अन्तर्गत ओ0ए0 संख्या–117/2024 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन में की गई कार्यवाही की आख्या सहित मा0 एन0जी0टी0 में एक समेकित अनुपालन आख्या दाखिल की जा सके।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में उक्त वाद में **अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 26.09.2025** नियत है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

08/09/2025

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी विधि अनुभाग, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

08/09/2025

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : बी–18/3, आवास कालोनी, उन्नाव–209801, दूरभाष–05157962487 ई–मेल–rounnao@uppcb.in
मुख्यालयः टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, दूरभाष : 0522–2720828, 2720681,
फैक्स : 0522–2720764

D:\UPPCB\Panchi Vihar\New Microsoft Office Word Document.docx

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, UNNAO

संदर्भ सं0 / **Ref.No.** 523 / सा0–312 / 2025 दिनांक / **Date**–09 / 09 / 2025

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक (यातायात),
उन्नाव।

महात्वपूर्ण / मा0
एन0जी0टी0 से सम्बन्धित प्रकरण

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम0ए0 सं0–68 / 2025 के अन्तर्गत ओ0ए0 संख्या–117 / 2024 News item titles "Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming" casualty appearing in The Hindustan Times dated 25.12.2023 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम0ए0 सं0–68 / 2025 के अन्तर्गत ओ0ए0 संख्या–117 / 2024 News item titles "Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming" casualty appearing in The Hindustan Times dated आदेश पारित किये गये है। उक्त के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, उन्नाव द्वारा शहीद चन्द्र शेखर आजाद, नवाबगंज पक्षी विहार (Bird Sanctuary) के आस–पास चिन्हित 07 स्थलों पर परिवेशीय ध्वनि अनुश्रवण विभिन्न तिथियों को दिन / रात में किया गया। परिवेशीय ध्वनि अनुश्रवण आख्या अनुसार पुलिस चौकी, नियर–पक्षी विहार, मुख्य गेट पक्षी विहार, वन विभाग गेस्ट हाउस पर दिन के समय ध्वनि की त्रीवता शान्त क्षेत्र के मानकों से अत्यधिक पायी गयी, अनुश्रवण आख्या संलग्न है।

अवगत कराना है कि नवाबगंज पक्षी विहार (Bird Sanctuary) क्षेत्र के आस–पास एन0एच0–27 एवं अन्य मार्गों पर चलने वाले बड़े व छोटे वाहनों में लगे हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अतिरिक्त प्रतिबंधित Modified Silencer, Horn भी प्रयोग किये जाने के साथ–साथ वाहनों पर डी0जे0 आदि ध्वनि विस्ताकर यंत्र रख कर बजाते हुए एन0एच0–27 पर चलने से ध्वनि की त्रीवता वृद्धि होने की सम्भावना रहती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नवाबगंज पक्षी विहार (Bird Sanctuary) क्षेत्र के आस–पास एन0एच0–27 पर चलने वाले बड़े व छोटे वाहनों में लगे हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अतिरिक्त वाहनों पर डी0जे0 आदि ध्वनि विस्ताकर यंत्र रखकर बजाते हुए एन0एच0–27 पर चलने वाहनों एवं प्रतिबंधित Modified Silencer, Horn प्रयोग करने वाहनों की जाँच कराकर नियम विरूद्ध मानकों से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करने के साथ–साथ पक्षी विहार के आस–पास एन0एच0–27 पर तथा आस–पास के कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों जहाँ पर डी0जे0 आदि ध्वनि विस्तारक यंत्र स्थित हो की भी जाँच कराकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आख्या इस कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम0ए0 सं0–68 / 2025 के अन्तर्गत ओ0ए0 संख्या–117 / 2024 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन में की गई कार्यवाही की आख्या सहित मा0 एन0जी0टी0 में एक समेकित अनुपालन आख्या दाखिल की जा सके।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में उक्त वाद में **अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 26.09.2025** नियत है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

09/09/2025

O/c क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी विधि अनुभाग, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

09/09/2025

O/c क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-R3/9

23

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम०ए० सं०–68 / 2025 के अन्तर्गत ओ०ए० संख्या –117 / 2024 News item titles "Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming" casualty appearing in The Hindustan Times dated 25.12.2023 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्याः–

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम०ए० सं०–68 / 2025 के अन्तर्गत ओ०ए० संख्या–117 / 2024 News item titles "Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming" casualty appearing in The Hindustan Times dated 25.12.2023 को पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

1. This original application, registered suo moto, concerned with the issue of noise pollution affecting Nawabganj Bird Sanctuary on account of increased highway traffic and construction activities. Such pollution is adversely affecting the eco system including birds in the sanctuary.

2. Report dated 01.04.2024 on behalf of Conservator of Forests, UP has been filed enclosing therewith notification dated 28.09.2019 declaring Shaheed Chandra Shekhar Azad (Nawabganj) Bird Sanctuary as eco sensitive zone. Report of the Conservator of Forests, UP in sum and substance states that there is no violation.

3. UPPCB has filed a separate report on 22.03.2024, noticing the violation in respect of noise pollution norms. Conclusion of the UPPCB in this regard as under:-

> ***"4. That as per the Ambient Noise Monitoring Report the noise level were found higher than the prescribed standards at 04 locations (03 locations were within the premises of the Nawabganj Bird Sanctuary & 01 at outside the Bird Sanctuary) and the noise level were found within the prescribed standards at 02 locations (01 location is within the premises of the Nawabganj Bird Sanctuary & 01 at outside the Nawabganj Bird Sanctuary).***
>
> ***5. That as per the Ambient Air quality monitoring report the parameters were found within the prescribed standards.***
>
> ***6. That as per the Ambient Air Quality Monitoring Report the Ambient Air Quality at Police Chauki near the Nawabganj Bird Sanctuary w.r.t PM10 was found 101.73 micro gram/ cubic meter which is slightly higher than the prescribed standards of 100 micro gram/cubic meter. At Van Vibhag Guest House near the Nawabganj Bird Sanctuary the Ambient Air Quality was found within the prescribed standards w.r.t PM10, SO2 & NO2."***

4. Once, UPPCB has found that noise level was higher than the prescribed standards in certain areas. Responsibility lies with UPPCB to find out the source of such noise pollution and take remedial action including punitive action against the violators.

5. Learned Counsel appearing for UPPCB has submitted that now remedial and punitive action will be taken. Hence, original application is disposed of, directing the UPPCB to take appropriate remedial and punitive action against the violators and file action taken report before Registrar General of the Tribunal within three months. If found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration.

उक्त पारित आदेश के कम में मा० एन०जी०टी० में एम०ए० सं०–68 / 2025 दाखिल की गयी है जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 26.09.2025 नियत है।

उक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी वन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में संबंधित प्रकरण के संदर्भ में संयुक्त निरीक्षण वन विभाग के अधिकारियों के साथ शहीद चन्द्र शेखर आजाद वन अभ्यारण (Bird Sanctuary) का दिनांक 11.09.2025 को निरीक्षण किया गया। बिन्दुवार विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. शहीद चन्द्र शेखर आजाद वन अभ्यारण (Bird Sanctuary) को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के अंतर्गत ध्वनि उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में वन्य अभ्यारण के आस–पास निरीक्षण / सर्वेक्षण का कार्य संयुक्त रूप से किया गया।

JE A.Verma SA

2. शहीद चन्द्र शेखर आजाद वन अभ्यारण (Bird Sanctuary) नवाबगंज, उन्नाव से सटे हुए लखनऊ से कानपुर के आवागमन हेतु एक मात्र राष्ट्रीय राज्यमार्ग–27 लखनऊ–कानपुर मार्ग स्थित है। मार्ग के चलने वाले छोटे–बड़े वाहनों के संचालन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों (हार्न) के प्रयोग से आस–पास ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता मानकों से अधिक होना स्वाभाविक है।
3. वन विभाग द्वारा शहीद चन्द्र शेखर आजाद वन अभ्यारण (Bird Sanctuary) नवाबगंज, उन्नाव से सटे हुए राष्ट्रीय राज्यमार्ग–27 लखनऊ–कानपुर मार्ग से सटे हुए वन विभाग की स्वयं की भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। फोटोग्राफ्स निम्नवत् हैः–

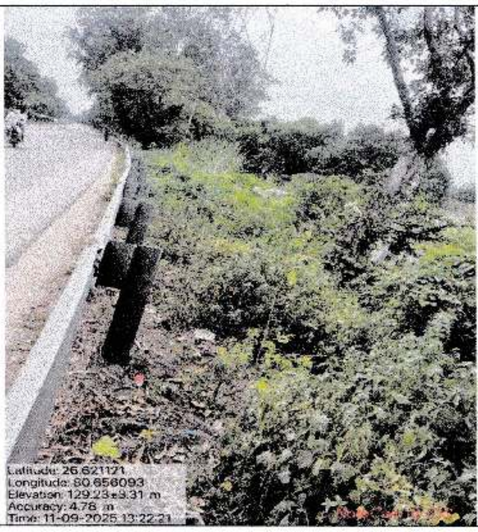

4. निरीक्षण/सर्वेक्षण के दौरान एन0एच0आई0 द्वारा शहीद चन्द्र शेखर आजाद वन अभ्यारण (Bird Sanctuary) नवाबगंज, उन्नाव से सटे हुए पश्चिम दिशा में राष्ट्रीय राज्यमार्ग–27 लखनऊ–कानपुर मार्ग के स्थलों पर NO HONKING ZONE का सिग्नल स्थापित पाया गया। फोटोग्राफ्स निम्नवत् हैः–

5. निरीक्षण/सर्वेक्षण के दौरान शहीद चन्द्र शेखर आजाद पक्षी बिहार (Bird Santuary) नवाबगंज, उन्नाव के 100 मी0 की परिधि में एन0एच0–27 एवं अन्य दोनों तरफ स्थित सड़क पर चलने वाले वाहनों के आवागमन एवं वाहनों में लगे हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग से ध्वनि की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने वाले श्रोत/गतिविधियॉ होती हुई नहीं पाई गई।
6. सड़क से सटे हुए पक्षी बिहार का कोर जोन स्थित है, जो कि लुप्त प्रायः जीव परियोजना उ0प्र0, लखनऊ के वन विभाग के अंतर्गत आच्छादित है। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु उक्त क्षेत्र लखनऊ–कानपुर रोड साइड पर्याप्त ऊॅचाई की बाउण्ड्रीवाल स्थापित किया जाना आवश्यक है।

निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से स्पष्ट है कि वन्य अभ्यारण के सटे हुए पश्चिम दिशा में एन0एच–27 के साथ–साथ वन्य अभ्यारण के अन्य तीनों दिशाओं में स्थित सड़क पर चलने वाले वाहनों के आवागमन एवं वाहनों में लगे हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग से ध्वनि की तीव्रता बढ़ना स्वाभाविक है। लखनऊ–कानपुर रोड साइड पर्याप्त ऊॅचाई की बाउण्ड्रीवाल स्थापित किया जाना आवश्यक है। पक्षी बिहार के चारो तरफ बंफर जोन में किसी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले यंत्र जैसे डी0जे0/लाउड स्पीकर के संचालन पर रोक लगाया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने वाले श्रोत/गतिविधियॉ होती हुई नहीं पाई गई। आख्या आपके अवलोकनार्थ आवयक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

12/09/2025	A. Verma 12/9/2025	12/9/2025	12/09/25
(बीरेन्द्र कुमार) अवर अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव	(अम्बरीश कुमार वर्मा) वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव	(हिमाद्री कुरील) रेंजर, नवाबगंज, उन्नाव	(उपेन्द्र प्रसाद) सहा0पर्या0अभि0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव

<u>क्षेत्रीय अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव।</u>

12/9/2025

Reed
[handwritten initials] 18/09/25.

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उन्नाव।

पत्रांकः– 385 / प्रवर्तन / विविध / 2025 दिनांकः–18.09.2025

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
उन्नाव।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम0ए0 सं0–68 / 2025 के अन्तर्गत संख्या–117 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 518 / सा0–312 / 2025 दिनांक 08.09.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें आप द्वारा पक्षी विहार क्षेत्र के आस–पास एन0एच0–27 पर चलने वाले बड़े व छोटे वाहनों में लगे हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रो एवं वाहनों पर प्रतिबंधित प्रेशर हार्न प्रयोग करने वाले वाहनों के सम्बन्ध में जॉच कराकर नियम विरूद्ध वाहनों की कार्यवाही चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद उन्नाव में दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 17.09.2025 तक बड़े व छोटे वाहनों में लगे हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रो एवं वाहनों पर प्रतिबंधित प्रेशर हार्न प्रयोग करने वाले वाहनों के विरूद्ध कुल 218 चालान / बन्द वाहनों की कार्यवाही की गयी एवं पक्षी विहार क्षेत्र के आस–पास एन0एच0–27 पर चलने वाले बड़े व छोटे वाहनों में लगे हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रो एवं वाहनों पर प्रतिबंधित प्रेशर हार्न प्रयोग करने वाले वाहनों के विरूद्ध कुल 52 चालान / बन्द की कार्यवाही की गयी।

भवदीय

[signature] 18/09/2025

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रवर्तन) उन्नाव।

AEEI
[initials] 19/09

Recd
19/09/25

कार्यालय यातायात पुलिस जनपद उन्नाव

पत्र संख्याः-TI-PUC(प्रवर्तन)/2025 दिनांक - 19.09.2025

सेवा में,

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जनपद-उन्नाव

महोदय,

कृपया आपके पत्र संख्या 523/सा0-312/2025 दिनांकित 09.09.2025 के माध्यम से नवाबगंज पक्षी विहार क्षेत्र के आस-पास एन0एच0-27 एवं अन्य मार्गों पर चलने वाले बड़े व छोटे वाहनों में लगे प्रतिबंधित मोडीफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न के विरूद्ध कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है। जिसके संदर्भ में आख्या निम्नवत है-

<u>दिनांक 01.04.2025 से 15.09.2025 तक प्रवर्तन कार्यवाही</u>

क्र0 सं0	उल्लंघन का विवरण	चालान की संख्या	कुल शमन शुल्क	वसूल किया गया शमन शुल्क
1	मोडिफाइड साइलेंसर	72	720000	14000
2	प्रेशर हार्न	38	380000	13000
3	एयर पोलयुशन	205	2050000	21000

आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

19/9/25
प्रभारी निरीक्षक यातायात
जनपद उन्नाव

प्रभारी निरीक्षक
यातायात-उन्नाव

AEEP
17/09/25